

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पदौ./निजी.सचिव/2018-19/संस्था/बीमा/

दिनांक :

शुद्धिपत्र 354

24 AUG 2018

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 347 दिनांक 24.08.2018 द्वारा निजी सचिव की वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त निजी सचिव से निजी सचिव के पद पर किये गये पदोन्नति आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित अतिरिक्त निजी सचिवों की पदोन्नति निजी सचिव के पद पर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 854/11 श्रीमती ललिता बनाम राज्य एवं एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 855/11 श्रीमती सुनीता बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन की जाती है :

| क्र. सं. | नाम कर्मचारी | पदनाम | चयन वर्ष | रिक्ति की दिनांक | वर्तमान पदस्थापन स्थान | पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान |
|----------|--------------------------|-----------|----------|------------------|---|---|
| 1. | श्रीमती सरला रायसिंघानी | निजी सचिव | 2018-19 | 15.05.18 | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा) मुख्यालय, जयपुर | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा) मुख्यालय, जयपुर |
| 2. | श्री सूरजमल लखेरा | निजी सचिव | 2018-19 | 15.05.18 | निजी सचिव कक्ष निदेशक महोदय, मुख्यालय, जयपुर | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (एन.पी.एस) मुख्यालय, जयपुर |
| 3. | श्री प्रदीप कुमार प्रधान | निजी सचिव | 2018-19 | 15.05.18 | अतिरिक्त निदेशक, जयपुर संभाग प्रथम | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) मुख्यालय, जयपुर |

(सुनील कुमार शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पदौ./निजी.सचिव/2018-19/संस्था/बीमा/8196-8212

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

24 AUG 2018

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, बीमा/सतर्कता/एन.पी.एस. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर संभाग प्रथम, जयपुर।
6. सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी
7. सिस्टम्स एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
8. संयुक्त निदेशक (संस्थापन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
9. सम्बन्धित कर्मचारी
10. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
11. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(सुनील कुमार शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।